(157)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

50 रा० (विभाग)

सं0सं0–म0नि0–II–उ0यो0–64/2018–19/ /मत्स्य, रॉंची, दिनांक -05/12/2018

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, रॉंची।

अनौपचारिक रुप द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।
से परामर्शित

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत एवं चालू वित्तीय वर्ष में पुनर्वैधिकृत केन्द्र प्रायोजित ब्लू रिवोल्यूशन योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में आर0ए0एस0 (RAS) परियोजना की मो0 80.00 लाख (अस्सी लाख) रु0 मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 .... दिनांक .... के द्वारा मॉग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत एवं चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनर्वैधिकृत केन्द्र प्रायोजित ब्लू रिवोल्यूशन योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में आर0ए0एस0 (RAS) परियोजना की मो0 80.00 लाख (अस्सी लाख) रु0 मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. (क) वित्तीय वर्ष 2017–18 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक सं0 J-1203113/27/2017–fy दिनांक 29.09.2017 द्वारा प्रदत्त इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक 1462 दिनांक 06.11.2017 द्वारा प्रेषित है तथा निम्न रूप से है–

(राशि लाख रु0 में)

क0	कार्य	इकाई	परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभुक का अंशदान
1	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (Recirculatory Aquaculture System - RAS)	8	400.00	96.00	64.00	240.00
		कुल :	**400.00**	**96.00**	**64.00**	**240.00**

(ख) वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र प्रायोजित योजना ब्लू रिवोल्यूशन योजना अंतर्गत **RAS** कॉम्पोनेंट के लिये केन्द्र सरकार के पत्रांक J-1203113/27/2017-fy दिनांक 29.09.2017 द्वारा प्रथम किस्त के रुप में विमुक्त राशि मो0 60.00 लाख (साठ लाख) रु0 मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय किये जाने हेतु केन्द्र सरकार के पत्र सं0 18001/1/2017–fy दिनांक 07.05.2018 द्वारा पुनर्वैधिकृत **(Revalidate)** की गई है।

156

(ग) इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन राज्य के विभिन्न स्थलों पर सघन मछली पालन के लिए निजी क्षेत्र में अनुदान पर 04 (चार) रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (Recirculatory Aquaculture System - RAS) की स्थापना की जायेगी जिसके अंतर्गत यथा उपर्युक्त कंडिका (क) में अंकित विवरणी के अनुरुप केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं लाभुक का अंशदान व्यय होगा। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसकी इकाई लागत मो0 50.00 लाख (पचास लाख) रु0 मात्र है। योजना के इकाई लागत की 40 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में (मो0 12.00 लाख रु0 भारत सरकार एवं मो0 8.00 लाख रु0 राज्य सरकार द्वारा) तथा शेष 60 प्रतिशत अर्थात् मो0 30.00 लाख रु0 की राशि का वहन लाभुक द्वारा किया जाना है।

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा RAS स्थापना हेतु प्रकाशित पुस्तिका में इसके विभिन्न अवयव एवं मॉडल प्राक्कलन को अंकित करते हुए कुल 50.00 लाख रू0 मात्र की इकाई लागत (Capital Cost- Rs. 30,84,648/- एवं Operational Cost-Rs. 19,18,000/- रू0 मात्र) तय की गई है। कार्यपालक, अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल सं0–2, राँची द्वारा राज्य में लागू वर्त्तमान अनुसूचित दर पर तैयार किए गए प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0 – II द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राक्कलन में Capital Cost- Rs. 39,77,800/- रू0 मात्र है (Pump & filter materials तथा Water Quality Testing Equipments सम्मिलित नहीं)। अतः कुल लागत में अनुदान की निर्धारित राशि के अतिरिक्त शेष किसी भी प्रकार की राशि का व्ययभार लाभुक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

3. चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना में मुख्य शीर्ष 4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय अंतर्गत उपलब्ध बजट के अधीन निम्न रूप से लघु शीर्ष/विस्तृत शीर्षवार व्यय हेतु स्वीकृति दी जाती है –

(राशि लाख रू0 में)

कमांक	माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष, मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष राशि
1	मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (केन्द्रांश) 53 C 440500101740545	24.00	24.00	शून्य
2	मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (राज्यांश) 53 S 440500101740545	76.00	16.00	60.00
3	मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय-लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (केन्द्रांश) 53 C 440500796740545	24.00	24.00	शून्य
4	मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय-लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-74-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (राज्यांश) 53 S 440500796740545	76.00	16.00	60.00
	योग:	200.00	80.00	120.00

कुल मो0 (अस्सी लाख) रु0 मात्र।

4. (क) समाचार पत्रों में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर संबंधित जिले के उपायुक्त के स्तर पर इस प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से गठित समिति के द्वारा लाभुक का चयन किया जायेगा –

1. उपायुक्त – अध्यक्ष
2. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण / एन0आर0ई0पी0 – सदस्य
3. जिला कृषि पदाधिकारी – सदस्य
4. संबंधित अंचल अधिकारी – सदस्य
5. जिला मत्स्य पदाधिकारी – सदस्य सचिव

(ख) लाभुकों के चयन का आधार निम्न प्रकार होगा –

1. लाभुक के पास विवाद / बैंक ऋण रहित समुचित भूमि हो।
2. चूँकि इस परियोजना में लाभुक का अंशदान करीब 30.00 लाख रु0 होंगे अतः लाभुक इस प्रयोजनार्थ सक्षम हो।
3. मछली पालन का ज्ञान हो।

5. रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (Recirculatory Aquaculture System - RAS) के निर्माण के लिये प्रारंभिक योजना प्राक्कलन तैयार कराया गया है। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा नामित / प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता एवं अधीनस्थ अभियंता द्वारा किया जायेगा। निर्माण कार्य लाभुक के द्वारा स्वयं कराया जायेगा।

निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार कुल तीन किस्तों में राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 की जायेगी।

6. व्यय निश्चित रूप से स्वीकृत इकाई लागत के अधीन ही किया जायेगा तथा यदि अतिरिक्त राशि का व्यय होता है तो अतिरिक्त राशि का वहन लाभुक के द्वारा शत्–प्रतिशत् किया जायेगा।

प्रथम चरण में एक लाभुक को एक ही RAS योजना का लाभ अनुमान्य होगा। विषयगत् योजना कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा निरुपित मार्ग दर्शिका / परिपत्रों में सन्निहित निदेशों / शर्त्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय।

जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है –

(भौतिक लक्ष्य सं0 में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख रु0 में)

क्र	जिला	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना					लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन					केन्द्रांश से कुल व्यय	राज्य योजना से कुल व्यय	लाभुक का कुल अंशदान
		निर्माण कार्य					निर्माण कार्य							
		आर0 ए0 एस0 निर्माण		केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय	लाभुक का अंशदान	आर0 ए0 एस0 निर्माण		केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय	लाभुक का अंशदान			
		भौ0ल0	वि0ल0	वि0ल0	वि0ल0	वि0ल0	भौ0ल0	वि0ल0	वि0ल0	वि0ल0	वि0ल0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	राँची	1	50.00	12.00	8.00	30.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**12.00**	**8.00**	**30.00**
2	प0 सिंहभूम	1	50.00	12.00	8.00	30.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**12.00**	**8.00**	**30.00**
3	कोडरमा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50.00	12.00	8.00	30.00	**12.00**	**8.00**	**30.00**
4	देवघर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50.00	12.00	8.00	30.00	**12.00**	**8.00**	**30.00**
कुल :		**2**	**100.00**	**24.00**	**16.00**	**60.00**	**2**	**100.00**	**24.00**	**16.00**	**60.00**	**48.00**	**32.00**	**120.00**

7. योजना की **feasibility** की जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

(154)

8. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/पश्चिमी सिंहभूम/देवघर तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, कोडरमा होंगे जो कंडिका '6' में दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

9. इस योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में केन्द्र सरकार, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के पत्रांक 1203113/27/2017–एफ0वाई0 दिनांक 29.09.2017 द्वारा मो0 60.00 लाख रु0 विमुक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस हेतु शून्य व्यय की गई केन्द्रांश मद की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **GFR – 19A** प्रपत्र में केन्द्र सरकार को प्रेषित है।

10. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य तथा सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

11. वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त कंडिका '2' में उल्लिखित कुल 08 RAS के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध राज्यांश एवं केन्द्रांश मद में किसी प्रकार की राशि का व्यय नहीं किया गया है। इस क्रम में अग्रिम की निकासी भी नहीं की गई है, अतः राशि का समायोजन लंबित नहीं है।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0 –01–2005–301 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. स्वीकृत राशि हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 3/12/18
(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 50 रा0 (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 05/12/2018

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 3/12/18
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 50 रा0 (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 05/12/2018

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 3/12/18
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 50 रा0 (विभाग) मत्स्य / राँची, दिनांक 05/12/2018

प्रतिलिपि : योजना–सह–वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 3/12/18
सरकार के सचिव

FM-22.09.2018